राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दिये गये सुझावों को हमने बड़े ध्यान से सुना है और उनपर पूरी तरह से विचार होगा। इन को ध्यान में रखते हुए सरकार विभिन्न समस्याओं के समाधान का प्रयास करेगी। राष्ट्रीय समस्याओं पर हमारे देश में सभी दल मिलकर विचार करते है। यह एक बहुत अच्छी परम्परा है। हम चाहते है कि देश के सभी वर्गों में सहकारिता की एक भावना होनी चाहिये। देश की समस्याओं के समाधान में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। इस के लिये हमें और अधिक कार्यकुशलता से कार्य करना होगा। अन्य देशों ने आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का अधिक लाभ उठाया है। मैं चाहती हूं कि बड़ों के अनुभव के साथ साथ हमें युवक कार्यकर्ताओं का भी लाभ उठाना चाहिये। हमें अपनी प्रशासन प्रणाली में उचित परिवर्तन करने चाहिये। इस बारे में कुछ कार्य हुआ भी है और अभी हो भी रहा है।

भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा हुई है। परन्तु हमें इस बारे में बातें बढ़ा चढ़ा कर नहीं करनी चाहिये। मैं स्वयं चाहती हूं कि भ्रष्टाचार के प्रत्येक मामले में कड़ी कार्यवाही हो। इस बारे में बड़े बड़े सभी लोगों को सार्वजनिक जीवन का स्तर ऊंचा रखना है।

देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। इस बारे में वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हम दस वर्षों के अल्प काल में बहुत प्रगति करना चाहते है। यह कोई आदर्शवाद नहीं बल्कि भारत की वर्तमान स्थिति के लिये यह बहुत आवश्यक है।

हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना है। प्रतिरक्षा के लिये होने वाले व्यय में से कुछ धन औद्योगिक इकाइयों और सड़कों आदि पर व्यय होगा। हम चाहते है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य न बढ़े। इसके लिये हमें अपना उत्पादन बढ़ाना होगा और उत्पादकों को अधिक मूल्य देकर उत्साहित करना होगा। इसलिये हमें मूल्य पहले ही निश्चित करने होंगे। जहां पर खाद्यान्नों की कमी है वहां मूल्यों को स्थिर रखने के लिये नियन्त्रण बहुत आवश्यक है।

यहां पर कहा गया है कि खाद्यान्नों सम्बन्धी क्षेत्रीय व्यवस्था की जाये। यह ठीक है कि हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखना चाहिये परन्तु हमें व्यावहारिक बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिये और सभी स्थानों और वर्गों की कठिनाइयों को देखना चाहिये। हां, इस पर फिर भी विचार हो सकता है।

हाल में हुई वर्षा के कारण गेहूं की सप्लाई में सुधार की आशा है। परन्तु चावल की कमी बनी रहेगी। इस का यह अर्थ नहीं है कि हम चावल की आयात नहीं करना चाहते, अपितु विश्व बाजार में ही चावल की कमी है और यह उपलब्ध नहीं हैं। मैं सभा के माननीय सदस्यों से और विशेषत: केरल तथा बंगाल के सदस्यों से अपील करती हूं कि वे स्थिति को समझने का प्रयत्न करें और अपने राज्य के लोगों को चावल की उपलब्धता की कठिनाइयां समझायें तथा उनसे कहें कि चावल का उपयोग कम करके अन्य उपलब्ध खाद्यान्नों का अधिक उपयोग करें। फालतू अनाज वाले राज्यों को चाहिये कि जितना भी अनाज वह दूसरों को दे सकते हैं, उसे सहर्ष दें।

हम इस बात का प्रयत्न करना चाहते है कि चावल खाने वाले राज्यों में ही चावल की उपज बढ़ाई जाये। वस्तुत: खाद्यान्न के बारे में हम शीघ्रातिशीघ्र आत्मनिर्भर होना चाहते है। सके लिये हम न केवल परम्परागत साधनों का ही पूर्ण उपयोग करेंगे अपितु कृषि के आधुनिक तरीके भी अपनायेंगे। खाद्यान्न की उपज में वृद्धि के लिये उर्वरकों का प्रयोग

किया जाना परमावश्यक है। विदेशी पूंजी के सहयोगसे उर्वरक कारखाने स्थापित करने की जो अनुमति दी गई है, उसकी शर्तों के बारे में कुछ आपत्तियां की जा रही है। परन्तु मैं समझती हूं कि विदेशों से उर्वरक आयात करने की तुलना में यह कही अधिक अच्छा है, क्योंकि इन कारखानों में भारतीय मजदूर काम करेंगे और भारत के कच्चे माल का प्रयोग किया जायेगा।

सरकार परिवार नियोजन पर अत्यधिक बल दे रही है क्योंकि हम महसूस करते है कि यदि हर योजना-अवधि के अन्ततक जनसंख्या में 6 से 7 करोड़ तक की वृद्धि होती रही तो हमारे लिये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना तथा जीवन स्तर में संतोषजनक सुधार करना असंभव हो जायगा। देश की प्रगति तभी संभव है, जब सब दिशाओं में दृढ़ संकल्प हो कर कार्यवाही की जाय।

हम विदेशों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं और शायद कुछ समय के लिये हमें सहायता लेनी ही पड़ेगी। परन्तु यह सहायता है, दान नहीं। हम इसे तभी लेंगे जबकि अपने आत्म-सम्मान तथा सिद्धांतों को देखते हुये ऐसा करना संभव होगा। हम सहायता सहयोग की भावना से लेते है और जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है हम भी बहुत से देशों को सहायता दे रहे है, जिनको हमारी सहायता की आवश्यकता है, तथा भविष्य में हम उन्हें सहायता देते रहेंगे। शब्द 'सहायता' शब्द के बारे में कुछ गलतफहमी है, क्योंकि यह एक भ्रामक शब्द है। वास्तव में इसका अधिकतर भाग ऋण के रूप में होता है, जिसे हम लौटाते रहे है। इस सहायता का असली उद्देश्य यह है कि कुछ समय में हम स्वयं अपने पांव पर खड़े हो जाये और हमें किसी सहायता की आवश्यकता ही नही रहे। विदेशी सहायता से हमें अपनी कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद अवश्य मिलती है, परन्तु हम आत्मनिर्भरता की दशा में प्रगति कर रहे है। कुल विदेशी सहायता जिसमें पी० एल० 480 भी शामिल है, हमारी तमाम आवश्यकता का केवल एक चौथाई भाग है।

मैं उन देशों की आभारी हूं जिन्होंने हमें कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये सहायता दी है, परन्तु मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि संसार भर में बुभुक्षित भारत का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया जा रहा है।

सभा में तथा सभा से बाहर आपातकाल स्थिति को समाप्त करने की बड़ी जोरदार मांग की गई है। इस बारे में मेरी बहुत प्रबल इच्छा है और मैं चाहती हूं कि आवश्यकता न रहने पर आपातकालीन स्थिति की अवधि एक दिन के लिये भी नहीं बढ़ाई जाये। मेरी प्रबल इच्छा है कि संविधान द्वारा दिये गय मौलिक अधिकारों को पुन: लागू किया जाये। वास्तव में आपात का समाप्त किया जाना तो बाहरी खतरे के विषय में हमारी धारणा पर निर्भर होगा, फिर भी जैसा कि गृहमंत्री ने सभा को बताया था हमने यह निर्णय किया है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत शक्तियों का कम से कम प्रयोग किया जायेगा।

जहां तक पंजाबी सूबे की मांग का प्रश्न है, हमें आशा है कि इस मास के अन्त तक अथवा अगले मास के पहले सप्ताह तक इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार पूरा हो जायेगा। मुझे प्रसन्नता है कि संत फतेसिंह ने अपना उपवास मार्च के अन्त तक स्थगित कर दिया है। यह कहना अनावश्यक होगा कि संत फतेसिंह का जीवन सारे राष्ट्र के लिए बहुत मूल्यवान है। मैं संत फतेसिंह से अनुरोध करूंगी कि वह इस मामले का एक ऐसा हल ढूंढने में, जो अधिकांश लोगों को स्वीकार्य हो, अपना पूरा सहयोग दें।

ताशकंद समझौते के बारे में कुछ प्रश्न उठाये गये थे। सरकार ने ताशकंद समझौते का अनुमोदन किया है तथा इस सभा ने भी इस बारे में अपनी शुभ कामना व्यक्त की हैं, संसार भर में इस का स्वागत किया गया है। हमें आशा है कि इस से भारत तथा पाकिस्तान के संबंध सुधरे हैं और दोनों देशों के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। केवल चीन ही एक ऐसा देश है जिस ने इस समझौते का स्वागत नहीं किया है। चीन का रवैया अभी आक्रमक है और वह संसार में तनाव बनाये रखना चाहता है। वह ऐसी नीति का अनुसरण कर रहा है जो विश्व शांति के अनकूल नहीं है।

[श्रीमती इंदिरा गांधी]

यह भी प्रश्न उठाया गया था कि सरकार दूसरे देशों के साथ सैनिक संधियां करना चाहती है अथवा नहीं। इस बारे में हमारी स्थिति स्पष्ट है। हमारा विश्वास है कि दूसरे देशों से सैनिक सन्धियां करने से शांति स्थापित नही होती परन्तु हो सकता है इस से तनाव और बढ़े और कुछ मामलों में हमारी आजादी को धक्का लगे।

जहां तक परमाणु बम के निर्माण की बात है, भारत सरकार अपनी नीति पर ही चलेगी। चीन के विस्फोट के कारण हमारे लिये इसके निर्माण जरूरी नहीं है। हमारे बनाने से और अनेक देश इसे बनाना चाहेंगे। हम परमाणु विस्फोट खत्म करने के पक्ष में है।

वियतनाम के बारे में हमारी स्थिति स्पष्ट है। हम इस संघर्ष के बढ़ जाने के खतरे से चिन्तित हैं। हम महसूस करते है कि इस झगड़े को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये सभी प्रयत्न किये जाने चाहिये।

रोडेशिया तथा जम्बिया के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि यद्यपि रोडेशिया के संवैधानिक भविष्य के बारे में मुख्यत: जिम्मेदारी ब्रिटेन की है फिर भी हम वहां के लोगों की इच्छाओं तथा भावनाओं के अनुसार हल ढूंढने के लिये अपने प्रभार का प्रयोग करेंगे। जम्बिया से हमारी मित्रता है और हम उन की जितनी भी सहायता कर सकते हैं, हम ने की है। दक्षिण अफ्रीका संघ संयक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है। हम उन प्रस्तावों को पूर्णत: क्रियान्वित करेंगे। जहां कहीं भी उपनिवेशवाद अथवा जातिवाद शेष है हम उसे दूर करने के लिये प्रयत्न जारी रखेंगे।

देश के सामने आज बहुत सी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय, राजनैतिक तथा आर्थिक समस्यायें है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार अपने दृढ़ संकल्प कर के इन पर काबू पा लेगी। हमारा अन्तिम ध्येय आम आदमी की सेवा करना तथा उस के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई है, किन्तु लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करनी है। गरीबी को दूर करना है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना है। इस बारे में मैं माननीय संसद् सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वह अपना पूरा सहयोग दे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यह एक अपूर्व बात है कि प्रधान मंत्री अमरीका यात्रा पर उस समय जा रही हैं, जब कि संसद में अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह अमरीका जल्दी में इस लिये जा रही है क्योंकि अमरीका के राष्ट्रपति ने मदद के बारे में उनके पत्र का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है और अपनी या। स्थगित करके वह अमरीकी राष्ट्रपति को नाराज नही करना चाहती। क्या उन्होंने अम ीका के राष्ट्रपति के पत्र का उत्तर दे दिया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं जल्दी में नहीं जा रही हूँ। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है पहले मेरी यात्रा की तिथि 1 फरवरी निश्चित की गई थी, परन्तु बाद में इसे मार्च के अन्त तक स्थगित कर दिया गया था। मैं ने संसद् के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही यह यात्रा निश्चित की है, क्योंकि मेरी एक सप्ताह की यात्रा के दौरान 3 दिन संसद् की बैठकें नहीं होंगी। हमें अपने आर्थिक विकास के लिये मदद लेनी होगी। किन्तु इस के लिये हम अपने आत्मसम्मान और गौरव को नहीं खोयेंगे। यदि हमें सहायता नहीं मिली तो हम अपना काम अपने ही साधनों से चलायेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : प्रत्येक दल से एक सदस्य को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूँ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : अपने भाषण के दौरान पंजाबी सूबे के निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधान मंत्री ने बताया कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिये उच्चतम प्राथमिकता देगी। उन्होंने यह भी बताया कि संत फतेसिंह ने कोई अग्रेतर कार्यवाही मार्च के अन्त तक स्थगित कर दी है, ताकि सरकार इस मामले के बारे में निर्णय कर सके। फिर भी प्रधान मंत्री ने संत फतेसिंह से सहयोग का अनुरोध किया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह संत फतेसिंह से और क्या सहयोग चाहती है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने किसी विशेष बात के बारे में सहयोग का अनुरोध नहीं किया है। मेरा तात्पर्य यह था कि वहां वातावरण ऐसा होना चाहिये, जो इस समस्या के संतोषजनक हल के लिये अनुकूल हो।

श्री हरि विष्णु कामत : यद्यपि प्रधान मंत्री ने अपने भाषणों में बहुत सी बातों का उत्तर दे दिया, तथापि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उत्तर नहीं दिया गया। मैंने अपने भाषण में मंत्री-परिषद् के एक उपमंत्री का उल्लेख किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह उपमंत्री वही व्यक्ति है जो दो अथवा तीन वर्ष पहले दो वर्ष तक किसी राज्य की जेल में रहे हैं ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जम्बिया सरकार ने भारत सरकार से सहायता की प्रार्थना की है और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में चर्चा के समय घाना में क्रांति हुई थी, तथा चर्चा में इस का उल्लेख किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या घाना सरकार ने भारत सरकार से उन्हें मान्यता देने की प्रार्थना की है और यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा कि सभा को विदित है कि हम में से बहुत से एक या अनेक दफह जेल में रहे हैं (**अन्तर्बाधायें**)

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने कहा कि वह राष्ट्रविरोधी कार्यवाही के कारण .... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न जम्बिया के बारे में था और तीसरा घाना के बारे में।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे खेद है कि विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते है कि क्या जम्बिया ने सहायता की प्रार्थना की है और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसका उल्लेख मैं अपने भाषण में कर चुकी हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : घाना के बारे में बताया जाये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह मामला हमारे विचाराधीन है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Prime Minister has stated in her speech that different problems facing the country would be met with determinations. May I know what decision has been taken regarding the implementation of Santhanam Commission's recommendations for uprooting corruption, as corruption is our main problem?

Mr. Speaker : Has any decision been taken regarding Santhanam Commission's recommendations?

Shrimati Indira Gandhi : Many decisions have been taken in this regard. I have clearly stated that if there is any *prima facie* case against any body, it will certainly be looked into.

श्री सेझियान (पेरम्बलर) : प्रधान मंत्री ने कहा है कि आवश्यकता न रहने पर आपातकाल को एक क्षण के लिये भी नहीं रखा जायगा। परन्तु शब्द "आवश्यकता" तुलनात्मक है। यह निश्चित कौन करेगा कि *अब आवश्यकता है* अथवा नहीं—क्या इस बारे में किसी न्यायिक निकाय की सहायता ली जायेगी? मैं प्रधान मंत्री से यह भी आश्वासन चाहता हूं कि वह कहे कि आपातकाल तथा भारत-प्रतिरक्षा नियमों को कम से कम 1967 के निर्वाचन के बाद समाप्त किया जायेगा।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में विभिन्न राज्यों के बीच सीमा तथा जल सम्बन्धी विवादों का उल्लेख किया है, परन्तु प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में इस बारे में कुछ नहीं बताया। प्रधान मंत्री कह सकती है कि ये मामले महत्वहीन हैं, परन्तु इन मामलों से बहुत से राज्य प्रभावित हैं और कई वर्षों से इन का कोई हल नहीं निकाला जा सका हैं। मैं जानना चाहता हूं प्रधान मंत्री की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : निस्संदेह ये मामले महत्वपूर्ण हैं। हम इन पर पूर्ण गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने और विशेषत: प्रधान मंत्री ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि विभिन्न राज्यों में दिये जाने वाले राशन की मात्रा भिन्न भिन्न है और कुछ राज्यों में तो यह केरल में दिये जाने वाले राशन से भी बहुत कम है। क्या सरकार इसे हर राज्य में समान बनाने के बारे में कोई निर्णय करेगी?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : खाद्य पर चर्चा करते समय इस पर विचार किया गया तथा खाद्य मंत्री ने बताया था कि समुचित खाद्य नीति का पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : प्रधान मंत्री ने केरल तथा पश्चिम बंगाल के सदस्यों को विशेष अपील की है कि हमें राष्ट्र की खाद्य संबंधी कठिनाई और विशेषतया चावल संबंधी कठिनाई को अपने लोगों के सामने रखनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री स्वयं इस बात से संतुष्ट है कि देश में जो कुछ पैदा किया जाता है उसका समान वितरण किया गया है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने माननीय सदस्यों से यह निवेदन किया है कि वे लोगों को बताये कि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं तथा जिस प्रकार का खाद्यान्न हमें मिले हमें उसका ही उपयोग करना चाहिये। ऐसा करने से स्थिति सुधरेगी।

श्री वासुदेवन नायर : देश में चावल उपलब्ध है, परन्तु इस का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा कि मैंने पहले कहा है हम समूचे प्रश्न पर सविस्तार विचार कर रहे परन्तु हम बीच में अपनी नीति को एकदम नहीं बदल सकते।

Shri Maurya (Aligarh) : Mr. Speaker, many hon. Members and myself have attracted Government's attention towards the pitiable conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country, but the Prime Minister have not spoken, even a word about this main problem in the country in her speech. May I know whether the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be ignored in the same way in which the Prime Minister has ignored them in her speech?

Shrimati Indira Gandhi : The hon. Member is quite right. I am sorry for not making any reference regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But it does not mean that we are not paying due attention to this problem. We are quite aware of their conditions and every effort will be made to help them in whatever way we can.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : I wish to draw your attention to the statement made by Sant Fateh Singh today. I want to plead to you very strongly that the rights of the people of Hariyana should not be suppressed.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : May I know whether the Parliamentary Committee on Punjabi Suba would submit its report to Parliament or to Government? The point may be clarified.

Mr. Speaker : I may clarify this point. If it is a Parliamentary Committee it would submit its report to Parliament, because it is defined in the Rules that a Parliamentary Committee is the Committee which submits its report to the Parliament. Moreover a Committee whose Chairman is Speaker cannot submit its report to the executive.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा सरकार को इस का उत्तर देना चाहिये। सरकार ने बहुत ही भिन्न मत व्यक्त किया है। आप को इस प्रश्न को ऐसे नहीं टालना चाहिये। यह प्रश्न सरकार से पूछा गया है, सरकार को इस का उत्तर देना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : सरकार को इस का उत्तर देना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : हमें इस बारे में गंभीर असंतोष है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि समाचार पत्रों में कुछ अन्य प्रकार के वक्तव्य छपे थे परन्तु मैंने उन में हस्तक्षेप किया है। यह गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य में है कि उन्होंने मुझे एक संसदीय समिति बनाने की प्रार्थना की थी। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह एक संसदीय समिति है, न कि संसद सदस्यों की एक समिति।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : चाहे यह संसद् सदस्यों की समिति हो अथवा नहीं। परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुझे यह कहने को बाध्य होना पड़ रहा है कि इतने जटिल राजनैतिक प्रश्न को ऐसी समिति को नहीं सौंपना चाहिये जिसके सभापति अध्यक्ष महोदय हों। इस से दुर्भाग्यपूर्ण बात सभा में आज तक नहीं हुई है। यह तो प्रजातंत्र की कब्र खोदना है। सरकार को यह स्थिति समझनी चाहिये। हमें इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : मैं जिम्मेदार नहीं हूं . . . **(अन्तर्बाधायें)**

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : परन्तु गृह-कार्य मंत्री तो कुछ और ही बात कह रहे हैं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : महोदय, आपसे संबंधित बातों पर मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इसका उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं कि मैंने आपको इस समिति का सभापति बनने की प्रार्थना की थी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह सरकारी समिति नहीं है। हम इस के लिये सरकार को जिम्मेदार नहीं हैं। श्री हरिश्चन्द्र माथुर को चाहिये कि वह अपने शब्द वापस लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपने स्थानों पर बैठ जायें।

श्री ही० ना० मुकर्जी : कांग्रेस पार्टी के आन्तरिक मत भेदों के कारण गृह-कार्य मंत्री ने अस्पष्ट वक्तव्य दिया था। सरकार ने आपके अध्यक्षता में समिति का गठन इस कारण से किया था, कि इस समस्या का सर्वमान्य हल निकाला जा सके। आप के बारे में कुछ भी कहना गलत है तथा आप पर किया गया आक्षेप वापस लिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, माननीय सदस्य अपने स्थानों पर बैठ जायें। अब हम श्री रंगा का संशोधन लेंगे **(अन्तर्बाधायें)**

श्री भागवत झा आजाद : हमें भी बोलने का अधिकार है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्री ही० ना० मुकर्जी ने हम पर आक्षेप किया है कि हमारे दल में आन्तरिक मतभेद है । यह सर्वथा अनुचित है । मैं इस का विरोध करता हूं ।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : उन शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकाल देना चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्री ही० ना० मकर्जी ने हम पर आक्षेप किया है कि हमारे दल में आन्तरिक भेदभाव है । यह सर्वथा अनुचित है । उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये था ।

श्री मौर्य : इस का क्या कारण है कि एक कांग्रेसी सदस्य इस प्रकार चिल्ला रहे है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि वाद विवाद में आप के बारे में भी कुछ कहा गया है । यह सर्वथा अनुचित है ।

श्री बूटा सिंह : श्री हरिश्चन्द्र माथुर के अपने शब्द वापस लेने चाहियें ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : में अपना एक भी शब्द वापस नहीं लूंगा । मैंने जो कुछ कहा है इस के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी कहना है । **(अन्तर्बाधायें)**

श्री कपूर सिंह : अध्यक्षपीठ पर घोर आक्षेप किये गये है । सभा को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

श्री वासुदेवन् नायर : श्री हरिश्चन्द्र माथुर को ऐसा नहीं कहना चाहिये था ।

श्री मौर्य : उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रधान मंत्री के खेद प्रकट करने के बाद भी, श्री माथर खेद प्रकट नहीं करना चाहते ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या प्रधान मंत्री ने मेरी ओर से खेद प्रकट किया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें; वह पहले ही बहुत कुछ कह चुके हें ।

श्री मौर्य : श्री हरिश्चन्द्र माथुर अध्यक्षपीठ की ओर चिल्ला रहे थे । उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं । हम अल्पसंख्या में है अतः यदि हमारी ओर का कोई सदस्य ऐसी कार्यवाही करता तो आप उस के विरुद्ध कार्यवाही करते, परन्तु क्योंकि वह सत्ताधारी दल के है, इस लिये उन के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य अपने स्थानों पर बैठ जायें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपने आप ही अध्यक्ष बनना स्वीकार नहीं किया था । यह तो मैंने सरकार की प्रार्थना पर किया था । जब सरकार ने इसकी घोषणा की थी तो सभा के सभी वर्गों ने इसकी सराहना की थी . . .

श्री बूटा सिंह : हमने अपना सहयोग इस समिति को इस दृष्टि से ही दिया था कि यह संसदीय समिति है ।

अध्यक्ष महोदय : अब यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है । परन्तु जिस ढंग से आलोचना हो रही है, वह ढंग ठीक नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैंने आपकी आलोचना नहीं की । आपने हमको ठीक नहीं समझा । आपकी आलोचना में तो मैंने एक शब्द भी नहीं कहा है ।